मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२०

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२०

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा १० का संशोधन.

४. धारा १६ का संशोधन.

५. धारा २९ का संशोधन.

६. धारा ३० का संशोधन.

७. धारा ३१ का संशोधन.

८. धारा ५१ का संशोधन.

९. धारा १२२ का संशोधन.

१०. धारा १३२ का संशोधन.

११. धारा १४० का संशोधन.

१२. धारा १६८क का अंत:स्थापन.

१३. धारा १७२ का संशोधन.

१४. अनुसूची २ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२०

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

(२) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) इस अधिनियम का खण्ड १२, ३१ मार्च २०२० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा;

(ख) अन्य खण्ड ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (११४) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(ग) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव;

(घ) लद्दाख;".

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द "माल का" के पश्चात् शब्द "या सेवा का" अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा १६ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (४) में, शब्द "से संबंधित बीजक" का लोप किया जाए.

धारा २९ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) कराधेय व्यक्ति धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रेशन के लिए दायी नहीं है या धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन किए गए स्वेच्छिक रजिस्ट्रेशन से बाहर आने का आशय रखता हो.".

धारा ३० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए:—

"परन्तु यह कि ऐसी कालावधि दर्शाए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और कारण लेखबद्ध कर बढ़ाई जा सकेगी,—

(क) संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए;

(ख) अतिरिक्त आयुक्त या विशेष आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि से अधिक, तीस दिन से अनधिक की और कालावधि के लिए.".

धारा ३१ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (२) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जाएगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में,—

(एक) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(दो) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा.

धारा ५१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ५१ में,—

(क) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(३) स्रोत पर कर कटौत्री का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए.";

(ख) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

धारा १२२ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के खण्ड (एक), (दो), (सात) या (नौ) के अधीन आने वाले संव्यवहार का लाभ प्रतिधारित करता है और जिसके कारण उस समय जब ऐसा संव्यवहार किया गया, कर अपबंचन अथवा उपभोग किए गए कर प्रत्यय के समतुल्य राशि की शास्ति का दायी होगा.".

धारा १३२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १३२ में, उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है" के स्थान पर, शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है अथवा कारित करवाता है और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को प्रतिधारित करता है" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है या बिना किसी कर बीजक या बिल के कपट पूर्वक इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;";

(तीन) खण्ड (ङ) में, शब्द "कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति" का लोप किया जाए.

धारा १४० का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा १४० में, निम्नलिखित संशोधन १ जुलाई, २०१७ से प्रभावी हुए समझे जाएंगे,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''विद्यमान विधि के अधीन'' के पश्चात्, शब्द ''ऐसे समय के भीतर और'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन'' के पश्चात्, शब्द ''ऐसे समय के भीतर और'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द ''नियत दिन को'' के पश्चात्, शब्द ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (५) में, शब्द ''विद्यमान विधि के अधीन'' के पश्चात् शब्द ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहत किया जाए'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

(पांच) उपधारा (६) में, शब्द ''नियत दिन को'', पश्चात्, शब्द ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

धारा १६८क का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा १६८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''१६८ (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उन कार्रवाइयों के संबंध में जो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण पूरी नहीं की जा सकती हैं या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, सरकार इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय सीमा को बढ़ा सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, उन अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलित होगी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व की नहीं होगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''अपरिहार्य घटना'' से अभिप्रेत है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, ज्वालामुखी, भूकंप या अन्य प्रकृति द्वारा या अन्यथा कारित कोई आपदा जिससे इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का क्रियान्वयन प्रभावित होता हो.

धारा १७२ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १७२ में, उपधारा (१) में, परन्तुक में, शब्द ''तीन वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''पांच वर्ष'' स्थापित किए जाएं.

अनुसूची २ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची दो में, पैराग्राफ ४ में , निम्नलिखित संशोधन किए जाएं जो १ जुलाई २०१७ से प्रभावशील माने जाएंगे,—

(एक) मद (क) में, शब्द ''जो विचारणीय है या नहीं'' का लोप किया जाए.

(दो) मद (ख) में, शब्द ''चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या नहीं'' का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

करदाताओं की सुगमता के लिए समझौता, आगाम कर उधार, पंजीयन निरस्तीकरण, पंजीयन बहाली बिल स्रोत से कम किए गए कर और मध्यवर्ती उधार तथा फर्जी संव्यहारों के हित को दंडित करने की सुनिश्चितता के लिए भी आगामी अवधि के लिए विनिश्चय के अभिलेख जारी करने के लिए माल एवं सेवा कर परिषद् को सशक्त करने के अनुक्रम में मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) को संशोधित करना आवश्यक हो गया है.

२. विश्व के अनेक देशों जिसमें भारत सम्मिलित है, कोविड-१९ महामारी के फैलाव को दृष्टि में रखते हुए, जिससे जनता के जीवन को असीम नुकसान हो रहा है, यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ में नई धारा १६८-ए के अंत:स्थापन के रूप में विभिन्न उपबंधों की समय सीमा पर विचार किया जाए.

३. मध्यप्रदेश माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ के संशोधन के कथन निम्नानुसार हैं,—

(क) केन्द्र शासित प्रदेश के संवैधानिक परिवर्तन और नवीन केन्द्र शासित लद्दाख के गठन के कारण केन्द्र शासित प्रदेश की परिभाषा में परिवर्तन करना;

(ख) करदाताओं को सुकर बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं को कुछ सीमा तक प्रशमन सुविधा उपलब्ध कराना;

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर में विवरणी के देय दिनांक से पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित डेबिट नोट्स पर आगत कर क्रेडिट का दावों की सुविधा उपलब्ध कराना;

(घ) उन करदाताओं को, जिन्होंने स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, को रजिस्ट्रीकरण या रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने की सुविधा उपलब्ध कराना;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण विखण्डित करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त कालावधि उपलब्ध कराना;

(च) कर इन्वाइस में छूट उपलब्ध कराना;

(छ) कर कटौती प्रमाण-पत्र जारी करने की रीति अवधारित करना;

(ज) उन व्यक्तियों को दण्ड सुनिश्चित करना जो कतिपय अपराध के अधीन आने वाले संव्यवहारों के लाभ पहुंचाते हैं या रोकते हैं;

(झ) इन्वाइस या बिल के बिना आगत कर क्रेडिट प्राप्त करने के प्रकरणों में दण्ड सुनिश्चित करना;

(ञ) संक्रमण कालीन आगत कर क्रेडिट का दावा करने का समय और रीति अवधारित करना;

(ट) कोविड-१९ महामारी के प्रसार के कारण विभिन्न उपबंधों की समय सीमा में विस्तार करना;

(ठ) आगामी २ वर्षों के लिए कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए माल तथा सेवा कर परिषद् को सशक्त करना.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ सितम्बर, २०२०.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में का व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड—१—अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को, विभिन्न तारीखों को अधिसूचना जारी कर के लागू करने;

खण्ड—७—जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर कुछ विशेष सेवाओं के प्रदाय के संबंध में;

खण्ड—८—करदाता को टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रारुप तथा प्रक्रिया विहित किये जाने;

खण्ड—११—करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने हेतु समय तथा प्रक्रिया निर्धारित करने; तथा

खण्ड—१२—अप्रत्याशित स्थितियां आने पर विभिन्न अनुपालनाएं पूर्ण करने के लिए समय-सीमा का विस्तार किये जाने;

के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) से उद्धरण

धारा २ (११४) "संघ राज्य क्षेत्र" से,—
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप;
(ख) लक्षद्वीप;
(ग) दादरा और नागर हवेली;
(घ) दमन और दीव;

* * * * *

धारा १० (२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

(क) . . . . . .

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है;

* * * *

धारा १६ (४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नाम नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा.

* * * *

धारा २९ (१) (ग) धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा.

* * * *

धारा ३० (१) ऐसी शर्तों जो विहित की जाएं, के अध्ययधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा.

धारा ३१ (२) * * * *

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में—

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो.

* * * * *

धारा ५१ (३) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा.

(४) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिसकी कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा.

* * * * *

धारा १२२ (१) * * * *

* * * * *

धारा १३२ (१) जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है, अर्थात्:—

(क) * * * * *

(ख) * * * * *

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल में प्रयोग का इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;

(घ) * * * * *

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खण्ड (क) से (घ) में नहीं आता;

* * * * *

धारा १४० (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा १० के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले से भी भिन्न कोई व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन उसे देने वाले नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन की समाप्ति अवधि के संबंध में विवरणी में पात्र शुल्कों का अग्रनीत विद्यमान मूल्यवर्धित कर की जमा अपने इलैक्ट्रानिक जमा खातक में देने का हकदार होगा, ऐसी रीति में जो विहित की जाए:

(२) धारा १० के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त निवेश प्रतिदेय कर की जमा अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान की विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववती दिन लेने को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा:

(३) कोई रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी नहीं था या जो छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण में लगा है या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबन्धों या जो संकर्म संविदा सेवाओं में उपबंधित था और अधिसूचना संख्याक २६/२०१२-सेवा कर तारीख २० जून, २०१२ के फायदे प्राप्त कर रहा था या किसी रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता या किसी विनिर्माता के डिपो या कोई प्रथम प्रक्रम का व्यवहारी या कोई द्वितीय प्रक्रम का व्यवहारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन पर स्टाक के धारण के अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट स्टाक और निवेश में धारित निवेशों के संबंध में पात्र शुल्क और कर की जमा अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते में ले सकने का हकदार होगा, अर्थात्:—

(४) * * * * *

(५) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को ही प्रापत निवेश या निवेश सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क या कर की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में किन्तु शुल्क या कर के संबंध में जिसे विद्यमान विधि के अधीन संदायकर्ता द्वारा संदत्त किया गया था निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियत दिन से ३० दिन की अवधि के व्यक्तियों की लेखा बहियों में बीजक या कोई अन्य शुल्क या संदाय का दस्तावेज अभिलिखित था, की शर्तों के अधीन रहते हुए लेने का हकदार होगा:

(६) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् रु.

धारा १६८ * * * * *

* * * * *

धारा १७२ (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

* * * * *

अनुसूची-२ पैराग्राफ ४:—

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चलता रहा है के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहें, **जो विचराणीय है या नहीं**, ऐसे अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है;

(ख) जहां, व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेश के अधीन, माल जो कारबार के प्रयोजन के लिए रखा या उपयोग किया गया, को कारबार के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी निजी उपयोग में लाने के लिए रखा गया या उपयोग कर लिया गया या किसी व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, **विचारणीय है या नहीं,** ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्धता करवाना, माल का प्रदाय है;

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.